



## प्रधानमंत्री मत्स्य कसिान समृद्धिसह योजना और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना वकिसा कोष

### प्रलिमिस के लयि:

प्रधानमंत्री मत्स्य कसिान समृद्धिसह-योजना, [प्रधानमंत्री मत्स्य सडपदा](#), [मत्स्य पालन कषेतर](#), [कसिान करेडिटि कारड](#), [मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना वकिसा कोष](#)।

### डेनस के लयि:

डारत डें मत्स्य पालन कषेतर, डारत डें मत्स्य पालन कषेतर डें सुडार के लयि उठाए गए कडड

[सुरोत: डी.आई.डी.](#)

### करुा डें करुुु?

डाल डी डें केंदुरीय डंतरडिडल डे "प्रडानडंतुरी डत्सुड कसिान सडुद्धिसह-डोजना (Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana- PM-MKSSY) को डंजुरी डे डी डै और [डत्सुड पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना वकिसा कोष \(Fisheries Infrastructure Development Fund - FIDF\)](#) को 2025-26 तक अतररकित 3 वरुषुु के लयि वसुतार डुरदान करुिा डै।

- इसके वसुतार का उदुदेशुड डत्सुड पालन कषेतर के अवसंरचनातडुड वकिसा की जुरुरतुु को डुरा करना, नरुतर वकिसा और वृदुध सुनशुकरुत करुना डै।

### प्रडानडंतुरी डत्सुड कसिान सडुद्धिसह-डोजना करुुा डै?

#### डररुडुड:

- डड-डकुसुड, डत्सुड पालन कषेतर को औडररुडुड डनाने और वतुत वरुष 2023-24 से वतुतुड वरुष 2026-27 तक सडुी ररुजुुु/केंदुर शासुतु डुरदेशुु डें अगले करु वरुषुु की अवधु डें 6,000 करुडु रुडुए से अधकु के नवुश के साथ डत्सुड पालन सुुकषुड एवं लघु उदुडडुु का सडुरुथन करुने के लयि [प्रडानडंतुरी डत्सुड सडुडदा \(Pradhan Mantri Matsya Sampada- PMMSY\)](#) के तहत एक केंदुरीय कषेतर की उडु-डोजना डै।

#### उदुदेशुड:

- ररुषुदुरीय डत्सुड पालन कषेतर डुडुडुडल डुलेटडुुडरुड (Fisheries Sector Digital Platform- NFDP) के तहत डकुडुआरुु, डत्सुड कसिानुु और सहाडक शुरडकुुु के सुव-डंजुीकरण के डधुडड से असंगठतु डत्सुड पालन कषेतर का करुडकु औडररुडुडकरण।
- डत्सुड पालन कषेतर के सुुकषुड और लघु उदुडडुु के लयि [संसुथरगत वतुतुडडुषण](#) तक डहुँक को सुवधुडरुडनक डनाना।
- [जलीय कृषु डीडड](#) खरुीदने के लयि लररुथरुथुुु को [एकडुशुत डुरुुतुसुरहन](#) डुरदान करुना।
- डत्सुड, डत्सुडुुतुडड और नुुकुररुथुुु के रखुरखरुव के लयि सुरकषुा एवं गुणवतुता आशुवसुन डुरणरलरुथुुु को अडनाने तथर उनके वसुतार को डुरुुतुसुररुत करुना।

#### लकषुतु लररुथुुु:

- डकुडुआरे, [डत्सुड \(जलकृषुु\) कसिान](#), डत्सुड शरुडकुु, वकुरेतरा, और डत्सुड पालन डुलुड शुरुखुला डें शरुडल अनुड हतुधररक।
- सुुकषुड व लघु उदुडड सुवरुडतुव डरुड, सरुडुुुदरुी डरुड, सहरकरी सडतुथुुु, संघ, सुतररुडअड, [डत्सुड डुुुु \(कृषक उतुडडडक संगठन\)](#) और डत्सुड पालन एवं जलीय कृषु डें लगे हुुए डै।
  - डुुुु डें [कसिान उतुडडडक संगठन \(Farmers Producer Organizations - FPOs\)](#) डी शरुडल डै।
- कुुी अनुड लररुथुुु डनुडुु डत्सुड पालन वडुडरुग डुवरर लकषुतु लररुथुुुु के रूड डें शरुडल करुिा डरु सकतरा डै।

#### कररुडरनुवतु रणनीतु:

- घकक 1-A: डत्सुड पालन कषेतर का औडररुडुडकरण:
  - हतुधररकुुु की एक ररुषुदुरीय ररुडसुतुरी डनरकर असंगठतु डत्सुड पालन कषेतर को औडररुडुड डनाने के लयि NFDP की सुथरडनर

- की जाएगी।
- **NFDP के कार्य:** प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता में सुधार, परियोजना तैयारी सहायता, और मत्स्य पालन सहकारी समितियों को मज़बूत करना।
  - **घटक 1-B: जलकृषि बीमा को अपनाने की सुविधा:**
    - जलीय कृषि के लिये बीमा उत्पादों की स्थापना, कम से कम 1 लाख हेक्टेयर को कवर करना, प्रतकिसान अधिकतम **1,00,000 रुपए का प्रोत्साहन** (प्रोत्साहन के लिये कृषि क्षेत्र न्यूनतम 4 हेक्टेयर होना चाहिये) और गहन जलीय कृषि विधियों के लिये 40% प्रोत्साहन।
    - **अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST)** और महिला लाभार्थियों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन मिलाता है।
  - **घटक 2: मत्स्य पालन क्षेत्र मूल्य शृंखला दक्षता में सुधार के लिये सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करना:**
    - प्रदर्शन अनुदान के प्रावधान के तहत मूल्य शृंखला दक्षता में सुधार करना। **प्रदर्शन अनुदान के लिये पैमाना और मानदंड:**
    - **अति लघु उद्योग:**
      - सामान्य श्रेणी: अनुदान कुल नविश का 25% या 35 लाख रुपए तक सीमित है।
      - SC, ST, महिला स्वामित्व: अनुदान कुल नविश का 35% या 45 लाख रुपए तक सीमित है।
    - ग्राम स्तरीय संगठन और संघ: अनुदान कुल नविश का 35% या 200 लाख रुपए (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होना चाहिये।
  - **घटक 3: मछली और मत्स्य उत्पादों के लिये सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली:**
    - सुरक्षा और गुणवत्ता, बाज़ार वसितार और विशेषकर महिलाओं के लिये रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य पालन उद्यमों को प्रोत्साहित करना।
    - **अनुदान:**
      - सूक्ष्म उद्यम: मूल्य शृंखला दक्षताओं के समान।
      - लघु उद्यम: कुल नविश का 25% या 75 लाख रुपए (सामान्य श्रेणी), कुल नविश का 35% या 100 लाख रुपए (SC/ST/महिला-स्वामित्व वाली)।
      - ग्राम-स्तरीय संगठन और महासंघ: मूल्य शृंखला दक्षता के समान।
  - **घटक 4: परियोजना प्रबंधन, नगरानी और रपिर्टिंग:**
    - परियोजना गतिविधियों के प्रबंधन, कार्यान्वयन, नगरानी और मूल्यांकन के लिये परियोजना प्रबंधन इकाइयों (PMU) की स्थापना।

## भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र:

- वर्ष 2022-23 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन **174 लाख टन** रहा। भारत, **वर्ष का तीसरा सबसे** बड़ा मत्स्य उत्पादक है, जो कुल वैश्विक मत्स्य उत्पादन में **8% का योगदान** देता है।
- 10 वर्षों की अवधि में (2013-2023-24) के दौरान:
  - मत्स्य उत्पादन 79.66 लाख टन बढ़ा।
  - इस अवधि के दौरान तटीय जलीय कृषि में मज़बूत वृद्धि देखी गई।
  - **झींगा का** उत्पादन 270% बढ़ा।
  - झींगा नरियात 123% की वृद्धि परदर्शति करते हुए दोगुने से भी अधिक हो गया।
  - **~63 लाख मछुआरों और मछली किसानों के लिये** रोज़गार और आजीविका के अवसर उत्पन्न हुए।
- **समूह दुर्घटना बीमा योजना (GAIS)** के तहत प्रति मछुआरा कवरेज 1.00 लाख रुपए से बढ़कर 5.00 लाख रुपए हो गया, जिससे कुल मिलाकर 267.76 लाख मछुआरों को लाभ हुआ।
  - वर्ष 2019 में **मत्स्य पालन के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** के वसितार के साथ 1.8 लाख कार्ड जारी किये गए।
- महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद, इस क्षेत्र में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं **जिनमें इसकी अनौपचारिक प्रकृति, फसल जोखिम शमन की कमी, कार्य-आधारित पहचान प्राप्त न होना, संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुँच न होना** और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा बेची जाने वाली मछली की उप-इष्टतम सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानक शामिल हैं।

## मत्स्य पालन अवसंरचना विकास नधि (FIDF) क्या है?

- **परिचय:**
  - इसकी स्थापना मत्स्य पालन विभाग (मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय) द्वारा की गई है। **FIDF PMMSY तथा KCC जैसी योजनाओं के नधि पूरक** के रूप में कार्य करता है।
  - FIDF का उद्देश्य समुद्री और अंतरदेशीय मत्स्य पालन क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है।
- **कार्यान्वयन तंत्र:**
  - **रियायती वित्त:** FIDF पात्र संस्थाओं (EE) को नोडल ऋण संस्थाओं (NLE) अर्थात् **नाबारड, राष्ट्रीय सहकारी विकास नगिम (NCDC)** और सभी **अनुसूचित बैंकों** के माध्यम से रियायती वित्त प्रदान करता है।
    - FIDF के तहत पात्र संस्थाओं (EE) में राज्य सरकारें, सहकारी समितियाँ, मत्स्य पालन सहकारी संघ, गैर सरकारी संगठन, महिला उद्यमी, नज्जि कंपनियाँ इत्यादि शामिल हैं।
  - **ब्याज अनुदान/सहायता:**

- भारत सरकार प्रतिवर्ष 3% तक की ब्याज पर छूट प्रदान करती है।
- पुनर्भुगतान/चुकोती की अवधि 12 वर्ष तक होती है जिसमें NLE द्वारा 5% प्रतिवर्ष की न्यूनतम ब्याज दर पर रियायती वित्त प्रदान करने के लिये 2 वर्ष का अधस्थगन भी शामिल है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????:**

प्रश्न. अवैध शिकार के अतिरिक्त गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी में गिरावट के संभावित कारण क्या हैं? (2014)

1. नदियों पर बाँध एवं बैराज का निर्माण।
2. नदियों में मगरमच्छों की आबादी में वृद्धि।
3. गलती से मछली पकड़ने के जाल में फँस जाना।
4. नदियों के आसपास के क्षेत्रों में फसल-खेतों में सथैटिक उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का उपयोग।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत नमिनलखिति में से कनि उद्देश्यों के लिये कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? (2020)

1. कृषिपरिपत्तियों के रख-रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिये
2. कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मनी ट्रकों के क्रय के लिये
3. कृषक परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिये
4. फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिये
5. परिवार के घर निर्माण और गाँव में शीतगार सुवधि की स्थापना के लिये

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 5
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 3, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

**??????:**

प्रश्न. 'नीली क्रांति' को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्य पालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइये। (2018)